प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति,
   समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8–9/2017–18/39542 दिनांकः 25.07.2017

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 में धनराशि का आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" शासनादेश सं0–जी0आई0 136/5–9–07–9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0–3668/5–9.7–9(113)/2005, दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0– 3667/5–9–08–9 (113)/05, दिनांक 05.03.2008 के अधीन संचालित की जा रही है। भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार "जननी सुरक्षा योजना" **वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 2748368 लाभार्थियों के लक्ष्य** की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यक्रम कियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नवत हैं।

1. गर्भवती महिलाओं का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन–

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2016 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु लाभार्थियों का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ हो, अतः सभी जे0एस0वाई0 के लाभार्थियों का भुगतान किये जाने हेतु वी0एच0एन0डी0 के समय चिन्हित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का भी एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव पूर्व जाँचों के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को दी गयी सेवाओं का पोर्टल पर अपडेशन भी सुनिश्चित किया जाये।

2. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान–

वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–657/पॉच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुपालन में मिशन निदेशक द्वारा पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/ जे0एस0वाई0/8–6/13–14/934–75 दिनांक–30.05.2013 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रू0)	1400.00	1000.00
2	घरेलू प्रसव हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रू0) (केवल बी0पी0एल0 धारक)	500.00	500.00
3	आशा को दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि (रू0)		
	• राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये	300.00	200.00
	• लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप	300.00	200.00
	आशा को दी जाने वाली कुल प्रोत्साहन धनराशि (रू0)	600.00	400.00

उपर्युक्तानुसार सभी व्यवस्थायें लागू कर लाभार्थियों एवं आशाओं को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के घरेलू प्रसव हेतु आर्थिक सहायता–

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–176/5–9–07–9(113)/05 टीसी दिनांक 08.06.2007 के प्रस्तर पाँच में दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुये नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली **सभी आयु वर्ग** की गर्भवती महिलाओं, जो घर पर कुशल सेवा प्रदाता (ए.एन.एम/एल.एच.वी./स्टाफ नर्स/सिस्टर अथवा चिकित्सक) के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर **प्रत्येक बच्चे के जन्म** पर प्रति प्रसव रू0– 500/– की आर्थिक सहायता अनुमन्य किया गया है जिसके लिये आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव चिकि0 स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पत्रांक 373/पाँच–9–2014–9 (113) 05 दिनांक 04 मार्च 2014 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

4. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान –

1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/ लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/ 50 67–2 दिनांक 04.02.2015 के द्वारा सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक अथवा बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान एम0सी0टी0एस0 डेटाबेस/एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज कर लिये जाने का प्राविधान है।

2. भारत सरकार के निर्देशानुसार डी0बी0टी0 योजना के तहत दिनांक 01 अप्रैल 2017 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान लाभार्थियों **के आधार कार्ड संख्या से सम्बद्ध बैंक खाते में** ही किया जायेगा। आशा द्वारा लाभार्थियों का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने तथा उसे आधार से लिंक कराना अपेक्षित है। ए0एन0एम0 द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध कर उनके खाते खुलवाने एवं आधार कार्ड से सम्बद्ध कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

समस्त जे0एस0वाई0 भुगतान केवल लाभार्थी महिला के खाते में ही किये जाये।

चिकित्सालय से छुट्टी के समय जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की जानकारी पत्र के साथ संलग्न (संलग्नक–2) प्रमाण पत्र **"जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र"** के माध्यम से दे दी जाये जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये। यदि लाभार्थी का खाता न हो तो यह भी लाभार्थी के भुगतान प्रमाण पत्र में दर्शा दिया जाये एवं खाता खुल जाने पर धनराशि का हस्तान्तरण कर दिया जाये। सुनिश्चित करें कि सभी भुगतान इकाईयों को जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र एक बुकलेट के रूप में मुद्रित कराकर उपलब्ध करा दिया जाये। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इस बुकलेट के उपयोग की समीक्षा की जाये।

5. जे0एस0वाई0 फार्म– संलग्न

पत्र के साथ जे0एस0वाई0 फार्म का प्रारूप (संलग्नक– 1) जो मात्र दो पृष्ठ का है, को समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध करायें। इसे सभी प्रसव इकाईयों पर बी0पी0एल0 लाभार्थियों के घरेलू प्रसव के भुगतान हेतु भी आवश्यक कर दें। पुराने जे0एस0वाई0 फार्म का उपयोग कदापि न किया जाये।

6. मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था–

1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–3667/5–9–08–9(113)/05 चिकित्सा अनु0–9, दिनांक 05.03.2008 के द्वारा प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर केवल बी0पी0एल0 श्रेणी की महिलाओं (लाभार्थी) को ही प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य है। मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सालयों की जननी सुरक्षा योजना में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिये आपरेशन द्वारा प्रसव कराये जाने पर प्रति बी0पी0एल0 महिलाओं के सिजेरियन प्रसव **रू0–8000.00** की दर से निजी चिकित्सालय को भुगतान किया जायेगा। जनपदों में मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग

होम/चिकित्सालयों की संख्या अत्यन्त कम है अतः समस्त जनपदों से अधिकाधिक प्रायवेट चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेजों को जननी सुरक्षा योजना का लाभ जन मानस तक पहुँचाने के लिये एक्रेडेटड किया जाना अपेक्षित है इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश http://upnrhm.gov.in/government-orders.php. के अन्तर्गत GO No 3667 REGARDING ACCREDIATION OF PRIVATE NURSING HOME UNDER JSY(MH) 05 MAR 2008 में उपलब्ध है।

2. **जनपद चित्रकूट, कासगंज, सम्भल, श्रावस्ती, सोनभद्र एवं मैनपुरी में सिजेरियन प्रसव हेतु विशेष व्यवस्था *(समस्त ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0लाभार्थियों हेतु)* –**

उपर्युक्त राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण सिजेरियन प्रसव नही हो पा रहे है, अतः इस हेतु चयनित 6 जनपदों चित्रकूट, कासगंज, सम्भल, श्रावस्ती, सोनभद्र एवं मैनपुरी में मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत सिजेरियन प्रसव की सुविधा समस्त (ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0) लाभार्थियों को प्रदान की जायेगी। इस हेतु–

- केवल राजकीय चिकित्सा इकाई द्वारा रेफर किये गये इलेक्टिव एवं इमरजेंसी प्रसव केंसो को सिजेरियन ऑपरेशन की यह सुविधा देय होगी।
- प्रत्येक (ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0) सिजेरियन ऑपरेशन पर प्रति ऑपरेशन **रू0–8000.00 से 10000.00** की दर से एक मुश्त भुगतान निजी नर्सिंग होम को देय होगा (मुख्य चिकित्साधिकारी इस सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम से वार्ता कर दर निर्धारित करेंगे)।
- चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान करने के लिये पिछले खण्ड में दिये गये शासनादेश में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाये।
- प्रत्येक माह की समाप्ति पर नर्सिंग होम को उनके द्वारा विगत माह में सम्पादित किये गये ऑपरेशन के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय में इस व्यवस्था के अन्तर्गत सिजेरियन प्रसव हेतु जनरल वार्ड में 10 शैय्या सुरक्षित रखेंगे तथा **"जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सुरक्षित वार्ड"** का एक बोर्ड लगाकर प्रचारित करेंगे।
- मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी से किसी भी प्रकार का (ऑपरेशन, औषधि एवं जाँच हेतु) शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय में इस व्यवस्था के अन्तर्गत सिजेरियन प्रसव कराने वाले **ए0पी0एल0** एवं **बी0पी0एल0** लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि उसी प्रकार देय होगी। इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा चुके है।

जननी सुरक्षा योजना में प्राइवेट एक्रीडेट चिकित्सालयों में हुये बी0पी0एल0 एवं उक्त 6 जनपदों (बी0पी0एल0/ए0पी0एल0) सीजेरियन प्रसवों की रिपोर्टिंग नियमित रूप से की जाये।

7. **जनपद स्तरीय प्रशासनिक व्यय–**

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अनुश्रवण, रिपोर्टिंग, आई0ई0सी0, योजना के सुचारू क्रियान्वयन, वेबसाइट एवं अन्य कार्यालय व्यय हेतु अनुमन्य की गयी है। प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से निम्न कार्य किए जा सकते हैं –

क0सं0	**प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य गतिविधियाँ**
1	जनपद के एल–1, एल–2 एवं एल–3 स्तर की प्रसव इकाइयों पर प्रसव कक्ष/ओ0टी0 एवं जे0एस0वाई0 वार्ड में मानकानुसार सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था
2	जनपद में मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की कम्प्यूटराज्ड रिपोर्टिंग हेतु आवश्कतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था
3	जिला महिला चिकित्सालय पर सिक्योरिटी एवं सफाई की औचित्यपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था
4	सभी स्तरों पर जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, स्टैण्डर्ड रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था
5	मेडिकल कॉलेज पर सौन्दर्यीकरण/पोस्टर, जे0एस0वाई0 फार्मेट, स्टेशनरी, रजिस्टर व अन्य लॉजिस्टिक आदि की व्यवस्था

सभी प्रसव इकाइयों पर जे0एस0वाई0, जे0एस0एस0के0 एवं एम0डी0आर0 के प्रचार–प्रसार हेतु दीवार लेखन, पोस्टर व सौन्दर्यीकरण व्यवस्था

इसके अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपदों को उपलब्ध कराये गये 04 प्रतिशत प्रशासनिक मद से जिला संयुक्त चिकित्सालय/महिला चिकित्सालय के अंश के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8–8/2015–16/ दिनांक–29.12.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार गत वर्ष 2015–16 में जनपद की जे0एस0वाई0 में कुल उपलब्धि को आधार मानते हुए उस चिकित्सालय (मेडिकल कॉलेज/जिला महिला चिकि0/जिला संयुक्त चि0 आदि) की जे0एस0वाई0 उपलब्धि का प्रतिशत X निकाल लिया जाय। जनपद को 2017–18 में स्वीकृत कुल प्रशासनिक धनराशि की X प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित जिला स्तरीय चिकित्सालय को हस्तान्तरित कर दी जाये।

8. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंगः– (यू0पी0एच0एम0आई0एस0 के माध्यम से)

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित करने हेतु व सूचनाओ को एच0एम0आई0एस0 के अतिरिक्त यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है। तद्‌क्रम में चिकित्सा अनुभाग–9 के शासनादेश सख्या –36/2015/694/पांच –9–2015–9(127)/12टी0सी0 दिनांक 26–05–2015 द्वारा समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रो एवं राज्य अधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ो को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्टतया निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध मे स्पष्ट किया जाता है कि समस्त आंकड़ों को उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता के साथ फीड कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे की आगामी मासिक समीक्षा हेतु यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ो/सूचना के आधार पर जनपदों द्वारा (यू0पी0एच0एम0आई0एस0) कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके।

9. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय फांट–

''जननी सुरक्षा योजना'' एक निरन्तर संचालित की जाने वाली योजना है जिसके लिये प्रत्येक स्तर पर धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। जिला कार्ययोजना में जनपदों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये लक्षित **2748368** लाभार्थियों हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदवार लक्ष्य के अनुरूप **एफ0एम0आर0 कोड संख्या–ए.1.3** के अन्तर्गत प्रथम **त्रैमास** (अप्रैल से जून 2017) हेतु कुल धनराशि **रू0 133,71,06,056 (एक सौ तैंतिस करोड़ इक्कहत्तर लाख छः हजार छप्पन मात्र)** जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की जा चुकी है।

द्वितीय त्रैमास (जुलाई से सितम्बर 2017) हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि धनराशि रू0–128,80,60,588 (एक सौ अठाईस करोड़ अस्सी लाख साठ हजार पाँच सौ अठासी मात्र) के रूप में दिनाँक 13.07.2017 को जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है। अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग उपर्युक्त दिशा–निर्देश के अनुसार करना सुनिश्चित करें, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों (घरेलू प्रसव, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रसव, नगरीय क्षेत्रों के प्रसव, आशा को देय धनराशि, मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में बी0पी0एल0 महिलाओं के सिजेरियन आपरेशन पर निजी नर्सिंग होम को प्रति प्रसव रू0–8000.00 की दर से एवं विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद **चित्रकूट, कासगंज, सम्भल, श्रावस्ती, सोनभद्र** एवं **मैनपुरी** में सिजेरियन प्रसव कराये जाने पर (**ए0पी0एल0** एवं **बी0पी0एल0**) महिलाओं के प्रति सिजेरियन प्रसव हेतु अलग–अलग निर्धारित शीर्षवार, मदवार **एफ0एम0आर0 कोड संख्या-** A.1.3.1, A.1.3.2.a, A.1.3.2.b, A.1.3.2.c, A.1.3.3, A.1.3.4 के अन्तर्गत धनराशि की फांट प्रदर्शित है।

धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। कार्यक्रम/मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही नियमानुसार व्यय किया जाये। आगामी धनराशि का भुगतान जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की आंकलन के आधार पर अवमुक्त की जायेगी।

जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार किया जाय। व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिट, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाय। अतः आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थियों अथवा आशाओं के भुगतान हेतु योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :–एसपीएमयू/जे0एस0वाई0/8–9/2016–17/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक–परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके स्तर से पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करने के अनुरोध के साथ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0।
8. समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबन्धक,मातृस्वा0

जननी सुरक्षा योजना प्रपत्र

यह प्रपत्र गर्भवती महिला के संस्थागत प्रसव हेतु चिकित्सालय में आने के समय ए.एन.एम. / एल.एच.वी. / स्टाफ नर्स द्वारा भरा जायेगा। घरेलू प्रसव के लाभार्थियों का प्रपत्र उस क्षेत्र की ए.एन.एम. द्वारा भरा जायेगा।

सामान्य विवरण :–

जनपद का नाम :–.. चिकित्सा इकाई का नाम :–..

1) लाभार्थी का नाम :–.. 2) पति का नाम ....

3) आयु :–.. 4) एम.सी.टी.एस. नं0 :–..

5) जाति (कृपया सही का निशान लगायें) सामान्य [ ] अनु0जाति [ ] अनु0जनजाति [ ] अन्य पिछडा वर्ग [ ]

6) लाभार्थी का पूरा पता :– ....

....

7) पति का व्यवसाय :– ....

8) सम्पर्क हेतु व्यक्ति का नाम :–..लाभार्थी से सम्बंध :– ....

सम्पर्क हेतु मोबाइल नं0 :–..

9) लाभार्थी के रहने का स्थान ग्रामीण / शहरीं (कृपया सही का निशान लगायें)

प्रसव सम्बंधी विवरण (संस्थागत प्रसव हेतु) :–

1) स्वास्थ्य इकाई पर लाभार्थी के आने की तिथि.......................... समय..........................

2) स्वास्थ्य इकाई पर, लाभार्थी के आने का साधन 108 / 102 / निजी साधन (कृपया सही का निशान लगायें)

3) क्या आशा स्वास्थ्य इकाई में लाभार्थी के प्रसव के दौरान उसके साथ आयी थी? हाँ / नही (ए.एन.एम / स्टाफ नर्स / एम.ओ. द्वारा प्रमाणित किया जाना है)

4) साथ आने वाली आशा का नाम व क्षेत्र :–..

5) आशा का मोबाइल नं0:–..

6) प्रसव की तारीख :– .... प्रसव का समय :–..

7) प्रसव का प्रकार :– सामान्य / जटिल / सिजेरियन (कृपया सही का निशान लगायें)

8) मौजूदा प्रसव का क्रम :– 1 / 2 / 3 / 3 से अधिक (कृपया सही का निशान लगायें)

9) प्रसव के तुरन्त बाद नवजात का विवरण :–बच्चे का लिंगः– .... वजनः–....................

जीवित ( ) मृत ( ) विकृति (हॉ / नही) यदि हॉ तो

10) यदि नवजात में को जन्मजात विकृति हो तो उल्लेख करें..

प्रसव सम्पादित करने वाली ए.एन.एम. / स्टाफ नर्स
नाम व हस्ताक्षर

बैंक खाता सम्बंधी विवरणः–

1) लाभार्थी का आधार कार्ड संख्या :–..

2) लाभार्थी का आधार कार्ड लिंक्ड बैंक खाता संख्या :–..

3) बैंक का नाम :–..

4) संयुक्त खाते की स्थिति में खाता धारक का नाम :– ....

5) खाता धारक का लाभार्थी से सम्बंध :–..

नोटः– जे.एस.वाई. लाभार्थी से निवास प्रमाण पत्र,आधार प्रमाण पत्र एवं बैंक की पास–बुक की छायाप्रति के अतिरिक्त कोई प्रमाण पत्र न लिया जाय। लाभार्थी के फोटोग्राफ की आवश्यकता नहीं है।

अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर एवं
नाम युक्त मोहर

बी.पी.एल. श्रेणी के लाभार्थियों के लिये (केवल घरेलू प्रसव की दशा में भरा जाना है) :–

1) बी.पी.एल. कार्ड है ? हॉं/नहीं (कृपया सही का निशान लगाये एवं संलग्न करें)

2) यदि नही, कोई अन्य प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान/सरपंच/लेखपाल/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का प्रमाण–पत्र लगायें)

3) प्रमाण पत्र संलग्न आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर कार्ड

(उपरोक्त कार्ड न होने के स्थिति में दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एंव पूरा पता/ग्राम प्रधान/सरपंच का प्रमाण पत्र)

1. .... 2. ....

....

लाभार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

फार्म भरने वाले स्वास्थ्य कर्मी का नाम व पदनाम

दिनांक :–

ए.एन.एम./स्टाफ नर्स का नाम व हस्ताक्षर

संलग्नक–2

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

जननी सुरक्षा योजना

लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र

दिनॉकः–....................

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती .... पत्नी श्री...पूरा पता / निवासी ....आधार कार्ड संख्या.................................... मोबाइल न0 .... ने दिनांक .... को इस चिकित्सालय में प्रसव कराया, जिसका भर्ती रजिस्टर क्रमांक .... है।

1. लाभार्थी द्वारा दिये गये सम्बद्व आधार बैंक खाता संख्या..मे दिनॉक...........को जननी सुरक्षा योजना का लाभ रू0–.......................ऑन लाइन पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित किया जा रहा है जो कि 24–48 घण्टे में उक्त खाते में पहुँच जायेगा।

   अथवा

2. लाभार्थी द्वारा सम्बद्व आधार बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है, खाता संख्या के साथ यह प्रमाण–पत्र लाने पर भुगतान किया जायगा।

हस्ताक्षर

किसी भी समस्या के लिए सम्पर्क करें

चिकित्सा इकाई प्रभारी मोहर सहित

नामः–...ब्लाक नोडल

फोन नॅ0ः–...................................

अधिकारी

मोहर सहित हस्ताक्षर

प्रेषक,

मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

संलग्नक–3

जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत लाभार्थी दी जाने वाली सुविधा/ सेवा एवं भुगतान का फ्लो चार्ट

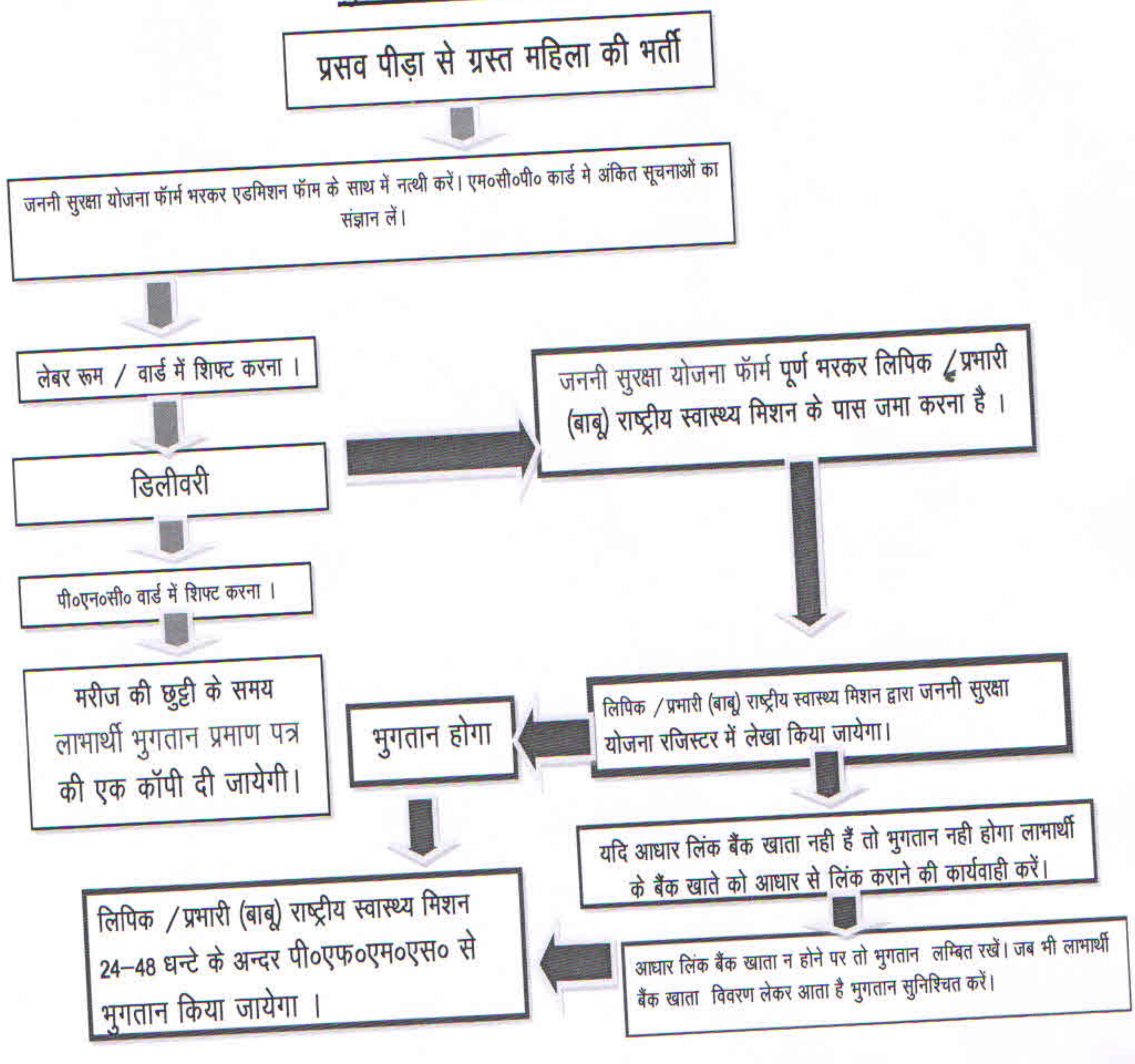

JSY:Janani Suraksha Yojana Fin. Year 2017-18 (Proposed 2nd Released for the period July to Sep 2017)

SL.No.	District	A.1.3.1:Home deliveries	A.1.3.2.a: Rural deliveries	A.1.3.2.b :Urban deliveries	A.1.3.2.c: C-sections of BPL in private accredited hospitals	A.1.3.4 Incentives to ASHA	A.1.3.3: Administrative Expenses	Total
1	Agra	39,500	13,832,000	3,205,000	24,000	3,993,000	843,740	21,937,240
2	Aligarh	33,000	12,832,400	3,522,000	24,000	3,823,800	809,408	21,044,608
3	Allahabad	61,000	26,066,600	207,000	24,000	8,428,200	1,391,472	36,178,272
4	Ambedkar Nagar	15,000	9,984,800	225,000	24,000	3,545,400	551,768	14,345,968
5	Amethi	12,500	11,786,000	-	24,000	4,064,700	628,688	16,515,888
6	Amroha (JP Nagar)	11,500	5,392,800	586,000	24,000	1,758,300	310,904	8,083,504
7	Auraiya	3,000	6,585,600	57,000	24,000	2,366,700	361,452	9,397,752
8	Azamgarh	2,500	19,255,600		24,000	6,896,700	1,045,312	27,224,112
9	Baghpat	2,500	4,029,200	505,000	24,000	1,215,000	231,028	6,006,728
10	Bahraich	37,500	24,339,000		24,000	8,218,800	1,297,412	33,916,712
11	Ballia	30,000	15,369,200	530,000	24,000	5,445,300	855,940	22,254,440
12	Balrampur	25,000	9,954,000	2,454,000	24,000	3,446,700	636,148	16,539,848
13	Banda	1,500	10,637,200	312,000	24,000	3,437,700	576,496	14,988,896
14	Barabanki	12,500	19,583,200	462,000	24,000	6,787,800	1,074,780	27,944,280
15	Bareilly	12,500	13,017,200	1,243,000	200,000	4,271,400	749,764	19,493,864
16	Basti	8,500	13,606,600	413,000	24,000	4,809,900	754,480	19,616,480
17	Bijnor	11,500	9,836,400	539,000	24,000	3,161,700	542,904	14,115,504
18	Budaun	25,000	16,615,200	1,083,000	24,000	5,699,400	937,864	24,384,464
19	Bulandshahar	6,500	13,280,400	1,727,000	24,000	4,311,000	773,956	20,122,856
20	Chandauli	15,000	6,027,000	774,000	568,000	2,111,100	379,804	9,874,904
21	Chitrakoot	1,500	5,486,600	189,000	1,946,000	1,911,600	381,388	9,916,088
22	Deoria	12,500	18,508,000	162,000	24,000	6,171,600	995,124	25,873,224
23	Etah	10,500	6,078,800	355,000	24,000	2,117,400	343,428	8,929,128
24	Etawah	1,500	10,502,800	941,000	24,000	3,076,800	581,844	15,127,944
25	Faizabad	5,000	12,615,400	22,000	24,000	4,158,000	672,976	17,497,376
26	Farukkhabad	14,500	9,087,600	-	24,000	2,504,700	435,432	12,066,232
27	Fatehpur	24,000	10,949,400	736,000	24,000	3,723,900	618,292	16,075,592
28	Firozabad	28,500	9,779,000	1,237,000	24,000	2,793,000	554,460	14,415,960
29	Gautam Buddha Nagar	16,000	2,031,400	3,438,000	24,000	233,700	229,724	5,972,824
30	Ghaziabad	6,500	1,059,800	3,700,000	24,000	-	177,764	4,968,064
31	Ghazipur	5,000	16,431,000	478,000	-	5,881,500	911,820	23,707,320
32	Gonda	12,500	18,793,600	-	24,000	6,680,700	1,014,872	26,525,672
33	Gorakhpur	12,500	20,731,200	1,162,000	24,000	6,966,300	1,155,840	30,051,840
34	Hamirpur	2,500	5,521,600	518,000	24,000	1,730,100	311,848	8,108,048
35	Hapur	6,500	3,722,600	-	24,000	967,800	182,796	4,903,696
36	Hardoi	4,000	19,719,000	645,000	24,000	6,895,200	1,091,488	28,378,688
37	Hathras	6,500	7,546,000	496,000	24,000	2,425,200	419,908	10,917,608
38	Jalaun	37,500	6,084,400	1,142,000	24,000	1,714,800	360,108	9,362,808
39	Jaunpur	2,500	20,980,400	74,000	24,000	7,295,700	1,135,064	29,511,664
40	Jhansi	12,500	6,529,600	2,349,000	24,000	1,411,800	413,076	10,739,976
41	Kannauj	2,500	5,586,000	2,624,000	24,000	1,858,200	403,788	10,498,488
42	Kanpur Dehat	2,500	7,439,600	291,000	24,000	2,567,400	412,980	10,737,480
43	Kanpur Nagar	1,500	7,868,000	4,320,000	24,000	1,226,100	537,584	13,977,184
44	Kasganj	26,000	7,536,200	63,000	2,121,000	2,502,300	489,940	12,738,440
45	Kaushambi	5,000	9,870,000	181,000	24,000	3,422,700	540,108	14,042,808
46	Kushi Nagar (Padrauna)	12,500	22,563,800	-	472,000	8,043,300	1,243,024	32,334,624
47	Lakhimpur Kheri	37,500	25,907,000	-	24,000	8,686,500	1,372,040	36,027,040
48	Lalitpur	19,000	8,813,000	640,000	24,000	2,851,200	493,888	12,841,088
49	Lucknow	10,000	7,831,600	8,769,000	24,000	-	624,764	17,259,364
50	Maharajganj	12,500	15,323,000	20,000	24,000	5,494,800	834,972	21,709,272
51	Mahoba	1,500	2,990,400	988,000	24,000	624,600	185,140	4,813,640
52	Mainpuri	5,000	7,735,000	366,000	2,386,000	2,637,000	525,160	13,654,160
53	Mathura	2,500	8,153,600	519,000	24,000	2,747,400	457,860	11,904,360
54	MAU	10,000	9,231,600	106,000	24,000	3,243,600	504,608	13,119,808
55	Meerut	12,500	5,539,800	2,695,000	24,000	1,727,400	399,948	10,398,648
56	Mirzapur	75,000	13,448,400	310,000	24,000	4,527,000	735,376	19,119,776
57	Moradabad	62,500	7,232,400	1,188,000	24,000	2,133,600	425,620	11,066,120
58	Muzaffar Nagar	6,500	8,302,000	1,548,000	24,000	2,691,300	502,872	13,074,672
59	Pilibhit	12,500	7,663,600	243,000	24,000	2,637,600	423,228	11,003,928

24/07/2017

SL.No.	District	A.1.3.1:Home deliveries	A.1.3.2.a: Rural deliveries	A.1.3.2.b :Urban deliveries	A.1.3.2.c: C-sections of BPL in private accredited hospitals	A.1.3.4 Incentives to ASHA	A.1.3.3: Administrative Expenses	Total
60	Pratapgarh	25,000	16,597,000	155,000	24,000	5,757,600	902,344	23,460,944
61	Raebareli	12,500	17,285,800	235,000	24,000	6,009,000	942,652	24,508,952
62	Rampur	22,000	6,501,600	697,000	24,000	2,017,500	370,484	9,632,584
63	Saharanpur	37,500	9,626,400	2,450,000	24,000	2,884,200	600,884	15,622,984
64	Sambhal	6,500	9,430,400	715,000	2,916,000	3,279,900	653,912	17,001,712
65	Sant Kabir Nagar	5,000	11,323,200	238,000	24,000	4,044,600	625,392	16,260,192
66	S Ravidas Ngr (Bhadohi)	5,000	6,755,000	1,119,000	24,000	2,310,000	408,520	10,621,520
67	Shahjahanpur	15,000	14,532,000	389,000	24,000	4,566,300	781,052	20,307,352
68	Shamali	6,500	4,988,200	869,000	24,000	1,511,400	295,964	7,695,064
69	Shravasti	12,500	10,441,200	70,000	3,166,000	3,765,300	698,200	18,153,200
70	Siddharth Nagar	8,000	14,917,000	198,000	24,000	5,328,300	819,012	21,294,312
71	Sitapur	2,500	28,812,000	830,000	24,000	10,100,700	1,590,768	41,359,968
72	Sonbhadra	12,500	8,505,000	-	2,536,000	2,943,300	556,352	14,553,152
73	Sultanpur	2,500	15,662,800	-	24,000	4,993,800	803,124	21,486,224
74	Unnao	7,500	15,495,200	-	24,000	4,788,600	791,652	21,106,952
75	Varanasi	3,500	11,914,000	1,307,000	24,000	3,711,600	678,404	17,638,504
Total		1,089,500	866,010,400	69,631,000	17,871,000	284,086,500	49,372,188	1,288,060,588

Sd/- TCCMH
24/07/2017